

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनराक्षितवाद/ अपीलवाद

संख्या...14.....

वर्ष 2024.....



विविधवाद/ प्रथम अपील

बनाम

अपीलकर्ता श्रीमती सखिला देवी, एवं
श्रीमती रुदिमा देवी, ग्रा. रेदी,
पं०-बिजका, पु०-मछरिया,
प्रतिवादी जिला गढ़वा।
- सिखा श्रमण्डल पदा०, गढ़वा।

वादप्रारम्भ की तिथि
01-07-2024

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<p style="text-align: center;">वाद सं०-14 / 2024</p> <p>परिवादी श्रीमती सविता देवी एवं श्रीमती रूदिया देवी, ग्राम-रोदो, पंचायत-बिजका, प्रखण्ड-भण्डरिया, जिला-गढ़वा मोबाईल सं०-8340474667 का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।</p> <p>परिवादी द्वारा माह अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 तक का कंटौती किया गया, राशन नहीं दिये जाने का आरोप परिवाद पत्र में लगाया गया है। साथ ही उक्त अवधि का राशन कार्डधारियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया है।</p> <p>प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-22.07.2024 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद-पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर एवं अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।</p> <p style="text-align: center;">दिनांक-22.07.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"><div style="text-align: center;"><p>(शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div><div style="text-align: center;"><p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div></div>	